राजस्थान
गृह रक्षा कल्याण निधि नियम–1987
(संशोधित –2021)

1. **शीर्षक** :– राजस्थान गृह रक्षा कल्याण निधि नियम–1987 (संशोधित --2021)

2. **उद्देश्य** :– कल्याण निधि, सामान्य रूप से गृह रक्षा विभाग के सीमा गृह रक्षा, शहरी गृह रक्षा एवं ग्रामीण गृह रक्षा के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों/स्वयं सेवको के लिए नियमानुसार कल्याणकारी सुविधाऐं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाये गये है तथा इस कोष राशि का व्यय निम्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जायेगा:–

(अ) आपातकालीन गम्भीर कष्टदायी परिस्थिति में राशि का उपयोग कर सदस्यों को सहायता प्रदान करना। स्वयं सेवक के रिहायशी मकान में आग, बाढ, भूकम्प आदि के कारण अत्यधिक आर्थिक हानि की स्थिति में सहायतार्थ एकमुश्त अधिकतम राशि रूपये 20,000/– दिये जा सकेगें। इस नुकसान का आंकलन के लिए सभी इकाई स्तर पर समादेष्टा/प्रभारी द्वारा एक कमेटी गठित की जावेगीं, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :–

i. कम्पनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर – मनोनीत
ii. इकाई में पदस्थापित लेखाकर्मी – मनोनीत
iii. मुख्य आरक्षी/आरक्षी – मनोनीत

कमेटी द्वारा मौका मुआयना कर नुकसान का आंकलन कर सहायता राशि की अनुशंसा की जावेगी, जिसके आधार पर यह राशि सहायतार्थ इकाई के समादेष्टा द्वारा तुरन्त दी जावेगी व सूचना सचिव कल्याण निधि को दी जावें।

(ब) खेल–कूद प्रतियोगताओं के आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यय यथा– खिलाडियों की यूनिफार्म, खेल–कूद सामग्री (टीम का झण्डा, नेट रेकेट, बालीवाल, फुटबॉल, इत्यादि), खेल का मैदान तैयार किया जाना आदि आयोजन से संबंधित आवश्यक कार्य हेतु राशि व्यय की जा सकेगी। रैफरी/अम्पायर को दिये जाने वाला मानदेय, विजेताओं को पुरस्कार, ट्रॉफी, शील्ड इत्यादि पर भी राशि का व्यय किया जा सकेगा।

(स) स्वास्थ्य सुविधा/चिकित्सा पर निम्न प्रकार राशि व्यय की जा सकेगी :–

i. कल्याण निधि के सदस्यों की स्वास्थ्य सुविधा हेतु सदस्यों की मेडिकल जांच/मेडिकल केम्प/स्वास्थ्य परीक्षण/दवाईयॉ इत्यादि व्यवस्थाओं/आयोजन पर कल्याण निधि से राशि व्यय की जा सकेगी।
ii. कल्याण निधि के सभी सदस्यों की ड्यूटी के दौरान बीमार, दुर्घटना में घायल आदि होने पर उनको सहायता हेतु राज्य सरकार के नियमो के तहत चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण करने का प्रावधानों के अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी।

(द) गृह रक्षा स्वयं सेवकों के ड्यूटी पर नियोजन के दौरान दुर्घटना में आकस्मिक/प्राकृतिक मृत्यु होने पर स्वयं सेवक के मनोनीत आश्रित को विभागीय कल्याण निधि से राशि रूपये 2.00 लाख एवं ड्यूटी पर नियोजन नहीं होने की स्थिति में सदस्य की मृत्यु होने पर उनके मनोनीत आश्रित को राशि रूपये 1.50 लाख की सहायता दी जावेंगी।

स्वयं सेवक को ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना से ऐसी शारीरिक चोट लग जाती है जिससे स्वयंसेवक के स्थाई विकलांगता की श्रेणी में आने पर स्वयंसेवक की सदस्यता समाप्त होने के दृष्टिगत उसे पृथक किये जाने पर :–

i. स्वयं सेवक का अंग भंग होना जैसे :– दोनो हाथ/दोनो पैर/दोनो आँखें क्षतिग्रस्त हो कर स्थाई विकलांगता की श्रेणी में होने पर राशि रूपये 2.00 लाख सहायता राशि देय होगी।

ii. स्वयं सेवक का अंग भंग होना जैसे :– एक हाथ/ एक पैर/एक आँखें क्षतिग्रस्त हो कर स्थाई विकलांगता की श्रेणी में होने पर राशि रूपये 1.00 लाख की सहायता राशि देय होगी।

(य) मूलभूत सुविधाओं/लघु निर्माण/मनोरंजन इत्यादि पर निम्न प्रकार राशि व्यय की जावेगी:–

i. कल्याण निधि के सभी सदस्यों के लिए कार्यस्थल पर /कार्यालय परिसर में आवश्यक साजो सामान/उपकरण एवं मूलभूत सुविधाओं जैसे –पानी/ बिजली/ मैस/ शौचालय/सिवरेज सुविधा आदि के विकास एवं रख–रखाव हेतु राशि व्यय करना।

ii. कल्याण निधि के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण/खेल–कूद/शारीरिक क्षमता/योग्यता वृद्वि हेतु सुविधाओं के विकास के लिए लघु निर्माण, गणवेश धारण करने के लिए उपयुक्त स्थान (चेंजिंग रूम) हेतु लघु निर्माण आदि कार्य करवाया जाना।

iii. कल्याण निधि से सदस्यों के लिए मनोरंजन के साधन/सांस्कृतिक आयोजन/पाठयोत्तर गतिविधियां आदि पर राशि व्यय करना।

iv. विभाग की सभी अचल सम्पत्ति को समेकित करना, रख–रखाव, देख–रेख करने (खम्भी/जाल/कंटीले तार/मेड बनवाना) आदि, पौधारोपण व पौधों के रखरखाव आदि पर व्यय करना

(र) विभाग की प्रतिष्ठा एवं छवि को बनाये रखने या इसका स्तर बढ़ाने के उद्धेश्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने पर/आयोजन पर राशि व्यय करना।

(ल) कल्याण निधि के स्थाई स्टॉफ (राज्य सरकार से वेतन प्राप्त करने वाले सदस्य) को उनकी गम्भीर बीमारी के दौरान चिकित्सा सहायता हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध किया जावेगा जिसकी राशि कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी।
कर्मचारी के चिकित्सा बिलों से अथवा मासिक किस्त निर्धारित कर कर्मचारी के वेतन से दी गई ऋण की राशि वापिस प्राप्त की जावेगी।

(व) कल्याण निधि के सदस्यों के बच्चों के शिक्षण स्तर को बढाने एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनके दो बच्चों को छात्रवृत्ति देने पर राशि व्यय की जा सकेगी।
कल्याण निधि के सदस्यों के बच्चों में खेल–कूद को बढावा देने के लिए जिला स्तर से राज्य स्तर, राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर खेलने पर उनका मनोवल/प्रोत्साहन बढान के लिए एक–मुश्त खेल–छात्रवृत्ति देने पर व्यय किया जा सकेगा।

(ह) कल्याण निधि के सभी स्वयं सेवक की 55 वर्ष पूर्ण करने पर उनके आगामी जीवन के बेहतर बनाए रखने के लिए लघु व्यवसाय के लिए एकमुश्त सहायता राशि दी जा सकेगी। वर्तमान में यह सहायता राशि 50,000/– है।

3. **सदस्यता**:– यह नियम शहरी व ग्रामीण गृह रक्षा/सीमा गृह रक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगे।

i. सभी स्वयंसेवक जो कि विभाग की किसी भी इकाई से बुनियादी प्रशिक्षण उपरान्त सदस्यता प्राप्त कर उस इकाई के नॉमिनल रोल पर नामांकित है।

ii. वह सभी अधिकारी/कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो कि विभाग में किसी भी इकाई में पदस्थापित है। (जब तक यह विभाग में पदस्थापित है) और उनके द्वारा नियमानुसार वार्षिक सदस्यता अंशदान दिया जा रहा है।

iii. सभी अधिकारी/कर्मचारी दूसरे अन्य विभागों से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं एवं पदस्थापित है, जब तक विभाग में पदस्थापित है, और उनके द्वारा वार्षिक सदस्यता अंशदान दिया जा रहा है, उन्हें स्वत इस निधि की सदस्यता प्राप्त होंगी।

4. **समितिया**:– कल्याण निधि संबंधी सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करने एवं सभी ईकाईयों के प्रतिनिधियों से विचार–विमर्श करने एवं पारदर्शिता बनाये रखने के लिए निम्न समितियां बनायी जायेंगी।

i. **विभागीय कल्याण निधि समिति** :– यह कल्याण निधि परिचालन के लिये सर्वोच्च समिति होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी की सभी संबंधित द्वारा कल्याण निधि नियमों के प्रावधानों के तहत ही राशि व्यय की जा रही है। विभागीय कल्याण निधि समिति वर्ष में अनिवार्य तौर एक बार आयोजित की जावेंगी। (परिशिष्ठ–'अ' के बिन्दु संख्या 4 (ब) पर विवरण संलग्न है)

ii. **कल्याण निधि कार्यकारी समिति** :– यह निदेशालय स्तर पर निधि के कार्य की देख–रेख के लिए गठित है। यह समिति सामान्य रूप से ईकाईयों से प्राप्त सभी प्रकार के प्रस्तावों पर विचार–विमर्श कर शीघ्र अनुमोदन एवं उचित निर्णय लेगी। कल्याण निधि कार्यकारी समिति तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित करना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ठ–'अ' के बिन्दु संख्या 4 (अ) विवरण संलग्न है)

iii. **ईकाई स्तर पर विभागीय कल्याण निधि समिति** :– विभाग की सभी ईकाई की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकता अनुसार व कल्याण निधि के नियमानुसार सभी से विचार–विमर्श कर निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित करेगी। यह समिति कम से कम तीन माह में एक बार आयोजित की जावेंगी। (परिशिष्ठ–'अ' के बिन्दु संख्या 4 (स) पर विवरण संलग्न है)

iv. **कार्यकारी समिति (केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर)** :– इकाई के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकता अनुसार व कल्याण निधि के

नियमानुसार सभी से विचार–विमर्श कर निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित करेगी। यह समिति कम से कम तीन माह में एक बार आयोजित की जावेंगी। (परिशिष्ठ–'अ' के बिन्दु संख्या 4 (द) पर विवरण संलग्न है)

5. **समिति सदस्यों का मनोनयन** :– समितियों के सदस्यों को मनोनयन निम्न प्रकार किया जावेगा।

   i. **विभागीय कल्याण निधि समिति** :– विभागीय कल्याण निधि समिति के क्र.स. 8 से 16 पर अंकित सदस्यों को कल्याण निधि कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत किया जावेगा।

   ii. **ईकाई स्तर पर विभागीय कल्याण निधि समिति** :– ईकाई स्तर पर विभागीय कल्याण निधि समिति के क्र.स. 5 से 8 एवं 9 पर अंकित सदस्यों को गण समादेष्टा/समादेष्टा (अध्यक्ष) द्वारा मनोनीत किया जावेगा।

   iii. **कार्यकारी समिति (केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर)** :– इस समिति के क्र.स. 5 से 6 पर अंकित सदस्यों को मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा।

   नोट :– सदस्यों का मनोनयन प्रतिवर्ष अप्रैल माह के प्रारम्भ में किया जावेंगा, ताकि अप्रैल माह में समिति पूर्णतः गठित की जा सकें, लेकिन इसमें बदलाव नियमानुसार समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेंगा।

6. **बैठक का आयोजन** :–

   i. **विभागीय कल्याण निधि समिति** :– विभागीय कल्याण निधि समिति की बैठक अनिवार्य तौर पर वर्ष में एक बार आयोजित की जावेंगी। आवश्यकतानुसार कभी भी महानिदेशक एवं महासमादेष्टा (अध्यक्ष) द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी। बैठक आयोजित करने हेतु निधि के सभी सदस्यों को न्यूनतम 15 दिवस पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक होगा। विभागीय कल्याण निधि समिति के तीन सदस्य गण एवं किसी भी 7 अन्य सदस्यों की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूर्ण माना जायेगा, जिसमें डीजी/एडीजी, सचिव कल्याण निधि तथा वित्तीय सलाहकार का होना आवश्यक होगा।

   ii. **कल्याण निधि कार्यकारी समिति** :– कल्याण निधि कार्यकारी समिति की बैठक अनिवार्य तौर पर हर तीन माह में एक बार आयोजित की जावेंगी। आवश्यकतानुसार कभी भी महानिदेशक एवं महासमादेष्टा (अध्यक्ष) द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी। बैठक आयोजित करने हेतु निधि के सभी सदस्यों को कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक होगा। कल्याण निधि कार्यकारी समिति के चार सदस्य गण की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूर्ण माना जायेगा, जिसमें डीजी/एडीजी, सचिव कल्याण निधि तथा वित्तीय सलाहकार का होना आवश्यक होगा।

   iii. **ईकाई स्तर पर विभागीय कल्याण निधि समिति** :– ईकाई स्तर पर अनिवार्य तौर पर तीन माह में एक बार विभागीय कल्याण निधि की बैठक का आयोजन किया जावेगा। बैठक आयोजित करने हेतु निधि के सभी सदस्यों को कम से कम 24 घण्टे

पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक होगा। आवश्यकतानुसार कभी भी गण समादेष्टा/समादेष्टा द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी। समिति के पांच सदस्य गण की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूर्ण माना जायेगा, जिसमें गण समादेष्टा/समादेष्टा, कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्लाटून कमाण्डर, एक लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार, गृह रक्षा केन्द्र से एक महिला स्वयंसेवक/स्वयंसेवक, बोर्डर की हर कम्पनी से एक–एक स्वयंसेवक का होना आवश्यक होगा।

iv. **कार्यकारी समिति (केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर)** :– अनिवार्य तौर पर तीन माह में एक बार विभागीय कल्याण निधि की बैठक का आयोजन किया जावेगा। बैठक आयोजित करने हेतु निधि के सभी सदस्यों को कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक होगा। आवश्यकतानुसार कभी भी अध्यक्ष द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी। समिति के पांच सदस्य गण की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूर्ण माना जायेगा।

7. कल्याण निधि समितियों के कार्य :–

i. **विभागीय कल्याण निधि समिति** :– यह समिति सभी केन्द्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार–विमर्श कर अनुमोदित करेंगी/अस्वीकार करेगी। विभाग के कल्याण निधि सम्बन्धित सभी नीतिगत निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी एवं इकाईयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार–विमर्श तथा पूर्व में कल्याणि निधि कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुमोदन करेगी व नये प्रस्तावों पर विचार करेगी। कल्याण निधि सामान्य कार्यकारी समिति द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के वित्तीय वर्ष में व्यय एवं उनकी आय का विश्लेषण कर उनके द्वारा संकलित कल्याण निधि के लेखा–जोखों का अनुमोदन करेगी।

ii. **कल्याण निधि कार्यकारी समिति** :– कार्यकारी समिति विशेष परिस्थतियों में ईकाईयों से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर निर्णय ले सकेंगी, जिसे विभागीय कल्याण निधि समिति से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा। कार्यकारी समिति विभागीय कल्याण निधि समिति के मनोनयन योग्य सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष के लिए मनोनीत करेगी।

iii. **ईकाई स्तर पर विभागीय कल्याण निधि समिति** :– समिति द्वारा विभिन्न स्त्रोतो से सम्पर्क परेड में आये हुए स्वयंसेवकों से प्राप्त सुझावों (कल्याणकारी योजनाओं) पर नियमानुसार विचार–विमर्श कर निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित करेगी।

iv. **कार्यकारी समिति (केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर)** :– समिति द्वारा विभिन्न स्त्रोतो से सम्पर्क परेड में आये हुए स्वयंसेवकों से प्राप्त सुझावों (कल्याणकारी योजनाओं) पर नियमानुसार विचार–विमर्श कर निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित करेगी।

8. **वित्तिय शक्तियां** :– विभागीय कल्याण निधि समिति द्वारा पारित वित्तिय प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न स्तर पर कल्याण निधि के उद्धेश्यों के मध्यनजर वित्तिय शक्तियां प्राप्त होगी।

क.स.		Recurring (नियम संख्या 2 (ब), 2 (य), 2 (र) के प्रावधानों के अनुसार)	Non-recurring
i.	विभागीय कल्याण निधि समिति	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार
ii.	कल्याण निधि कार्यकारी समिति	1 करोड़ रू प्रतिवर्ष	2 करोड़ रूपये प्रति वित्तीय वर्ष
iii.	महानिदेशक, गृह रक्षा राजस्थान (अध्यक्ष)	शून्य	50 लाख रूपये तक प्रति वित्तीय वर्ष एवं 5 लाख प्रत्येक स्थिति में
iv.	अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा राजस्थान (उपाध्यक्ष)	शून्य	20 लाख रूपये प्रति वित्तीय वर्ष एवं 1 लाख प्रत्येक स्थिति में
v.	सचिव कल्याण निधि	शून्य	2 लाख रूपये प्रति वित्तीय वर्ष एवं 25 हजार प्रत्येक स्थिति में
vi.	निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	25,000 प्रतिवर्ष	2 लाख रूपये प्रति वित्तीय वर्ष एवं 25 हजार प्रत्येक स्थिति में
vii.	समादेष्टा / उपसमादेष्टा	15,000 प्रतिवर्ष	50 हजार रूपये प्रति वित्तीय वर्ष एवं 5 हजार प्रत्येक स्थिति में

नोट :–

i. नियम संख्या 2 (ब), 2 (य), 2 (र) के तहत अधिक खर्च की आवश्यकता होने पर निदेशालय स्तरीय कार्यकारी समिति से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

ii. नियम 2 (अ) के प्रावधानों के तहत समादेष्टा द्वारा जारी अनुमोदन आदेश व तत्पश्चात वित्तिय व्यय उपरोक्त वित्तिय शक्तियों के अतिरिक्त है।

iii. नियम 2 (स), 2 (द), 2 (ल) व 2 (व) के तहत व्यय करने की स्वीकृति आदेश महानिदेशक व महासमादेष्टा के अनुमोदन के उपरान्त, सचिव कल्याण निधि, गृह रक्षा, निदेशालय द्वारा जारी किये जावेंगे। विभागीय कल्याण निधि समिति द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के तहत ही इस प्रकार के स्वीकृति आदेश जारी किये जायेगें।

iv. नियम 2 (स) के तहत इकाई स्तर पर समादेष्टा द्वारा अधिकतम राशि रूपये 50,000/– की स्वीकृति जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसे विभागीय

कल्याण निधि समिति द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के तहत ही इस प्रकार के स्वीकृति आदेश जारी किये जायेगें।

v. नियम 2 (ह) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशी की स्वीकृति आदेश इकाई स्तर से जारी कर व्यय किया जा सकेगा।

युनिट स्तर से जारी सभी व्यय आदेश की सूचना सचिव कल्याण निधि गृह रक्षा निदेशालय को दी जावेगी। जारी प्रारूप के अनुसार व्यय राशि की सूचना प्रत्येक तिमाही में इकाईयों द्वारा भेजी जावेगी।

9. **अपलेखन करना** :–स्टोर्स और राशि का नुकसान (चोरी, लापरवाही धोखाधडी आदि के कारण नहीं) और अनुपयोगी स्टोर की नीलामी द्वारा निस्तारण पहली बार में निधि की समिति द्वारा पारित संकल्प द्वारा समर्थित किया जाएगा और अधिकारियों द्वारा नीचे बताई गई शक्तियों की सीमा तक स्वीकृत किया जाएगा :–

i. विभागीय कल्याण निधि समिति – पूर्ण शक्तिया
ii. महानिदेशक गृह रक्षा विभाग – 10 लाख /–
iii. उप महासमादेष्टा सचिव कल्याण निधि – 25 हजार/–

10. **आय का स्त्रोत** :–

i. विभागीय कल्याण निधि के सभी सदस्यों की वार्षिक सदस्यता अंशदान से प्राप्त राशि।
ii. विभागीय कल्याण निधि के लिए किसी भी एजेंसी/संगठन/दानदाता/संस्थान/धार्मिक संस्थान आदि से प्राप्त अनुदान/सहायता राशि।
iii. ब्याज सहित पी.डी. खाते में जमा राशि से प्राप्त ब्याज।
iv. नियोजनकर्ता सभी एजेन्सी/ विभाग/ संस्थानों /निगम बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय की निर्धारित प्रतिशत राशि ।
v. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान।

11. **वार्षिक सदस्यता अंशदान** :– निम्न चार्ट अनुसार विभाग में पदस्थापित विभिन्न रैंको अधिकारी/कर्मचारी/स्वयंसेवकों के लिए के लिए वार्षिक सदस्यता अंशदान का निर्धारण किया जाता है। वार्षिक सदस्यता अंशदान को दिया जाना अनिवार्य होगा ताकि इस निधि की सभी सदस्यों की सदस्यता यथावत बनाई रखी जा सकें, और नियमों के तहत दी जानी वाली सुविधाऐं प्राप्त हो सकें। सदस्यता अनिवार्य अंशदान राशि का वर्तमान में निर्धारण निम्न प्रकार है:–

	वर्तमान राशि
1. महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक/महानिरीक्षक /वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा विभाग	– 500/–
2. उप महासमादेष्टा गृह रक्षा विभाग	– 400/–

3. समादेष्टा / एसएसओ / लेखाधिकारी / मेडिकल ऑफिसर / गण समादेष्टा — 400 / –
4. उप समादेष्टा / उप गण समादेष्टा / जेएसओ / सहायक लेखाधिकारी / निजि सचिव — 300 / –
5. कम्पनी कमाण्डर / भण्डार अधीक्षक / निजि सहायक / लेखाकार / कार्यालय अधीक्षक / प्लाटून कमाण्डर — 200 / –
6. कनिष्ठ लेखाकर / कार्यालय सहायक / एसएफओ — 200 / –
7. मुख्य आरक्षी / वरिष्ठ लिपिक — 150 / –
8. कनिष्ठ लिपिक / वाहन चालक — 150 / –
9. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी — 100 / –
10. स्वयं सेवक / ऑनरेरी रैंक हॉल्डर — 50 /

12. **शो / कैंटीन / को–ऑपरेटिव स्टोर्स पर मुनाफा** :– आय का स्त्रोत के स्तर को बढाने के लिए इकाई स्तर पर को–ऑपरेटिव स्टोर्स / कैटीन के संचालित होने पर उससे कम से कम मुनाफा प्राप्त कर कल्याण निधि की आय में बढोतरी की जा सकती है।

13. विभागीय कल्याण कोष की आय के स्त्रोंतों से प्राप्त सभी राशि संबंधित इकाई के कल्याण निधि पी.डी. खातें में जमा करायी जावेंगी। आवश्यक तौर पर नियम 14 में दिये गये प्रावधान अनुसार ही इकाई स्तर पर अधिकतम राशि को पी.डी. खातें में रखा जायेगा। निर्धारित राशि से अतिरिक्त राशि नियमानुसार निदेशालय के पी.डी. खाते में ऑनलाईन जमा करवाकर कल्याण निधि सचिव को सूचना भिजवायी जावें।

14. **जिला स्तर पर कल्याण निधि में रखी जाने वाली राशि** :– ईकाई स्तर के पी.डी. खाते में व आय तरीके से अधिकतम निम्न प्रकार राशि रखी जावेंगी। अधिकतम राशि से अधिक राशि होने पर निदेशालय के पी.डी. खाते में अतिरिक्त राशि ऑनलाईन जमा करवाकर कल्याण निधि सचिव को सूचना भिजवायी जावें। आवश्यकता को देखतें हुए कल्याण निधि कार्यकारी समिति द्वारा समय–समय पर उक्त सीमा में संशोधन किया जा सकेगा।

निर्धारित मापदण्ड	पी. डी. खाते में रखी जाने वाली अधिकतम राशि	नगद रखी जाने वाली अधिकतम राशि
जिला जिसमें 5 कंपनियां निर्धारित है।	5,00,000	15,000
जिला जिसमें 5–10 कंपनियां निर्धारित है।	8,00,000	20,000
जिला जिसमें 10 से अधिक कंपनियां निर्धारित है।	10,00,000	25,000
प्रत्येक सीमा गृह रक्षा दल बटालियन को	20,00,000	30,000
निदेशालय स्तर पर	पूर्ण शक्तियां	1,50,000

15. **कल्याण निधि का रखरखाव एवं संचालन** :– समिति द्वारा निदेशालय गृह रक्षा और जिला/इकाई स्तर पर निम्नलिखित तरीके से खातों का रखरखाव और संचालन किया जाएगा :–

i. अध्यक्ष/सचिव मौद्रिक लेन–देन के लेखा–जोखा और खातों के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक रूप से उत्तरदायी होंगे।

ii. एक लिपिक/कोषपाल को समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो फाइलों के रखरखाव/अभिलेखों और पत्राचार कार्य के लिए जिम्मेदार होगा।

iii. कल्याण निधि के लेखा जांच कार्य करने हेतु मनोनीत लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार को कोषपाल द्वारा माह के अन्त में कल्याण निधि कैश बुक/पासबुक में इन्द्राज की गई प्रविष्ठियों की जांच करवाकर सचिव कल्याण निधि से सत्यापित करवाया जायेगा।

iv. कोषपाल द्वारा अध्यक्ष महोदय से तीन माह में एक बार कैशबुक/पासबुक सत्यापित करवायेगें।

v. कोषपाल द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में वित्तीय वर्ष में प्राप्त सम्पूर्ण आय एव व्यय की प्रविष्ठियों को ट्रेजरी से सत्यापित करवाकर अध्यक्ष/सचिव कल्याण निधि को अवगत करवायेगें।

vi. निधि के खाते में प्राप्त सभी प्रकार की राशि के लिए मुद्रित रसीद जारी की जाएगी और प्राप्त राशि तुरंत खातें में जमा की जाएगी।

vii. सभी प्रकार की आय तुरंत संबंधित पी.डी. खातें में जमा किए जाएंगे। यदि खातें में राशि अधिक हो जाती है, तो नियम 14 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जावेंगी।

viii. सचिव द्वारा बिलों पर वेरिफिकेशन के आधार पर यथासंभव चेक/ऑनलाईन द्वारा भुगतान किया जाएगा।

ix. हर भुगतान एक वाउचर द्वारा समर्थित किया जाएगा।

x. कल्याण निधि से राशि व्यय कर प्राप्त की गई सभी प्रकार के आईटम का इंद्राज संबंधित कार्यालय के कल्याण निधि स्टॉक रजिस्टर में किया जावेगा।

xi. फण्ड के खाते का ऑडिट समिति के एक मनोनीत सदस्य के साथ विभाग के आईसीपी द्वारा किया जाएगा।

xii. समिति के विस्तार पर तत्काल/आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए निदेशालय के सचिव के पास राशि 1.50 लाख रूपये तक की राशि नकद रखी जाए।

xiii. निदेशालय व इकाई स्तर पर कल्याण निधि के कार्य सम्पादित करने वाले कर्मचारियों को निधि से प्रतिमाह मानदेय होगा। वर्तमान में निदेशालय स्तर पर

कल्याण निधि के कार्य को सम्पादित करने वाले लिपिक को राशि रूपये 500/— प्रतिमाह, कल्याण निधि के कार्य को सम्पादित करने वाले कोषपाल को 500/— प्रतिमाह व कल्याण निधि के कार्य को सम्पादित करने वाले लेखाकार को — 500/— प्रतिमाह भत्ता देय है। इसी तरह इकाई स्तर पर कल्याण निधि के कार्य को सम्पादित करने वाले लिपिक, कोषपाल एवं लेखाकार को देय भत्ता — 250/— प्रतिमाह देय है।

16. **नियमो का निरस्तीकरण एवं विश्लेषण** :— इन नियमों में कोई भी सदेंह होने पर गृह रक्षा कार्यकारी समिति द्वारा विवेचना कर स्पष्टीकरण जारी किया जा सकेगा जो अन्तिम निर्णय माना जावेगा

संलग्न :— परिशिष्ट—'अ'

क्र० 18628-83
दि. 13-7-21

(यू.आर. साहू)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर।

प्रतिलिपि :—

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप—7) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महासमादेष्टा—प्रथम/द्वितीय/निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर।
4. सीनियर स्टॉफ ऑफिसर—प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. समादेष्टा, सिक्यूरिटी सैल, गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
7. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
8. समस्त जिला कार्यालय, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
9. समस्त गण मुख्यालय, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
10. समस्त शाखा प्रभारी, गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. विभागीय बेवसाईट।

(संदीप सत्य प्रकाश शर्मा)
उप महासमादेष्टा
(सचिव कल्याण निधि)
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर।

4. <u>समितियां, उनके कर्तव्य एवं उनकी वित्तीय शक्तियां</u> :–

(अ) <u>कल्याण निधि कार्यकारी समिति (Executive Committee)</u> :– कार्यकारी समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :–

1	महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	उपाध्यक्ष
3	वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	उप महासमादेष्टा–I, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	उप महासमादेष्टा–II, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	सचिव कल्याण निधि
6	निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
7	सीनियर स्टॉफ ऑफिसर (मॉनिटरिंग सैल) गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य

1. कार्यकारी समिति पूर्ण रूप से स्थाई समिति होगी।
2. कार्यकारी समिति विशेष परिस्थतियों में ईकाईयों से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर निर्णय ले सकेंगी, जिसे विभागीय कल्याण निधि समिति से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा।
3. कार्यकारी समिति विभागीय कल्याण निधि समिति के मनोनयन योग्य सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष के लिए मनोनीत करेगी।
4. इस समिति की वित्तीय शक्तियां Recurring व्यय (नियम संख्या 2 (ब), 2 (य), 2 (र) के प्रावधानों के अनुसार) के लिए 1.00 करोड़ रूपये एवं Non-recurring व्यय के लिए 2.00 करोड़ रूपये प्रति वित्तीय वर्ष तक सीमित होगी।
5. कल्याण निधि कार्यकारी समिति की बैठक अनिवार्य तौर पर हर तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जावेंगी। आवश्यकतानुसार कभी भी महानिदेशक एवं महासमादेष्टा (अध्यक्ष) द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी। बैठक आयोजित करने हेतु निधि के सभी सदस्यों को कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक होगा।
6. कल्याण निधि कार्यकारी समिति के चार सदस्य गण की उपस्थिति होने पर बैठक का कोरम पूर्ण माना जायेगा, जिसमें डीजी/एडीजी, सचिव कल्याण निधि तथा वित्तीय सलाहकार का होना आवश्यक होगा।
7. यह निदेशालय स्तर पर निधि के कार्य की देख–रेख के लिए गठित है।
8. विशिष्ट प्रकृति के प्रस्तावों के विचार हेतु विषय विशेषज्ञ को बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा।

(ब) <u>विभागीय कल्याण निधि समिति</u> :– यह समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :–

1	महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	1	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	1	उपाध्यक्ष
3	वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	1	सदस्य
4	उप महासमादेष्टा–प्रथम, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	1	सदस्य
5	उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	1	सचिव कल्याण निधि
6	निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	1	सदस्य
7	सीनियर स्टॉफ ऑफिसर, प्रशिक्षण/(मॉनिटरिंग सैल) गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	1	सदस्य
8	जूनियर स्टॉफ ऑफिसर/उप समादेष्टा गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर	1	सदस्य (कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत)
9	किसी भी डिवीजन/इकाई स्तर पर स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों से दो समादेष्टा	2	सदस्य (कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत)
10	किसी भी बटालियन से तीन उप गण समादेष्टा/कम्पनी कमाण्डर	3	सदस्य (कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत
11	किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र से तीन कम्पनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर	3	सदस्य (कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत
12	किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र से दो मुख्य आरक्षी/दो आरक्षी	4	सदस्य (कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत
13	किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र से एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	सदस्य (कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत
14	किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र से एक वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक	1	सदस्य (कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत
15	प्रत्येक संभाग की इकाईयों में सें एक–एक स्वयं सेवक	7	सदस्य (कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत
16	किसी सीमा गृह रक्षा दल के दो स्वयं सेवक	2	सदस्य (कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत
	कुल योग :	31	

1. समिति द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के वित्तीय वर्ष में व्यय एवं उनकी आय का विश्लेषण कर उनके द्वारा संकलित कल्याण निधि के लेखा–जोखों का अनुमोदन करेगी।
2. उपरोक्त विभागीय कल्याण निधि समिति को पूर्ण वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी।
3. यह कल्याण निधि परिचालन के लिये सर्वोच्च समिति होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी की सभी संबंधित द्वारा कल्याण निधि नियमों के प्रावधानों के तहत ही राशि व्यय की जा रही है।

4. विभागीय कल्याण निधि समिति के क्र.स. 8 से 16 पर अंकित सदस्यों को कल्याण निधि कार्यकारी समिति द्वारा मनोनीत किया जावेगा।
5. विभागीय कल्याण निधि समिति की बैठक अनिवार्य तौर पर वर्ष में एक बार आयोजित की जावेंगी। आवश्यकतानुसार कभी भी महानिदेशक एवं महासमादेष्टा (अध्यक्ष) द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी। बैठक आयोजित करने हेतु निधि के सभी सदस्यों को न्यूनतम 15 दिवस पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक होगा। विभागीय कल्याण निधि समिति के तीन सदस्य गण एवं 7 अन्य सदस्यों की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूर्ण माना जायेगा, जिसमें डीजी/एडीजी, सचिव कल्याण निधि तथा वित्तीय सलाहकार का होना आवश्यक होगा।
6. यह समिति सभी केन्द्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार–विमर्श कर अनुमोदित करेंगी/अस्वीकार करेगी। विभाग के कल्याण निधि सम्बन्धित सभी नीतिगत निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी एवं इकाईयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार–विमर्श तथा पूर्व में कल्याणि निधि कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुमोदन करेगी व नये प्रस्तावों पर विचार करेगी।

(स) <u>ईकाई स्तर पर विभागीय कल्याण निधि समिति</u> :– यह समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :–

शहरी गृह रक्षा			
1	समादेष्टा	1	अध्यक्ष
2	कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठतम प्लाटून कमाण्डर	1	उपाध्यक्ष
3	इकाई में पदस्थापित लेखाकर्मी	1	सदस्य
4	एक मुख्य आरक्षी/एक आरक्षी	1	सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
5	एक चुतर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
6	गृह रक्षा की किसी भी इकाई से एक पुरूष स्वयं सेवक, एक महिला स्वयं सेवक एवं एक स्वयं सेवक, ऑनरेरी रेंक होल्डर	3	सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
7	चारों उपकेन्द्रों से एक–एक स्वयं सेवक	4	सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
सीमा गृह रक्षा			
8	गण समादेष्टा/उप समादेष्टा	1	अध्यक्ष
9	बटालियन की हर कम्पनी से एक–एक स्वयं सेवक (जिसमें ऑनरेरी रेंक हॉल्डर स्वयं सेवकों की संख्या– 2)	6	सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
	कुल :	19	

1. विभाग की सभी ईकाई की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकता अनुसार व कल्याण निधि के नियमानुसार सभी से विचार विमर्श कर निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित करेगी। यह समिति कम से कम तीन माह में एक बार आयोजित की जावेंगी।

2. ईकाई स्तर पर विभागीय कल्याण निधि समिति के क्र.स. 5 से 7 एवं 9 पर अंकित सदस्यों को गण समादेष्टा/समादेष्टा (अध्यक्ष) द्वारा मनोनीत किया जावेगा।
3. ईकाई स्तर पर अनिवार्य तौर पर चार माह में एक बार विभागीय कल्याण निधि की बैठक का आयोजन किया जावेगा। बैठक आयोजित करने हेतु निधि के सभी सदस्यों को कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक होगा। आवश्यकतानुसार कभी भी गण समादेष्टा/समादेष्टा द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी।
4. समिति के पांच सदस्य गण की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूर्ण माना जायेगा, जिसमें गण समादेष्टा/समादेष्टा, कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्लाटून कमाण्डर, एक लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार, गृह रक्षा केन्द्र से एक महिला स्वयंसेवक/स्वयंसेवक, बोर्डर की हर कम्पनी से एक–एक स्वयंसेवक का होना आवश्यक होगा।

(द) **<u>कार्यकारी समिति (केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के स्तर पर)</u>** :– यह समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :–

1	निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राज0, जयपुर	अध्यक्ष
2	उप समादेष्टा	उपाध्यक्ष
3	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
4	एक लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार	सदस्य
5	एक कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्लाटून कमाण्डर	सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
6	सभी ईकाईयों सें प्रशिक्षण कोर्स हेतु आये हुए स्वयं सेवकों में से दो स्वयं सेवक (उपलब्ध होने की स्थिति में)	सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)

1. इस समिति के क्र.स. 5 से 6 पर अंकित सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा।
2. अनिवार्य तौर पर तीन माह में एक बार विभागीय कल्याण निधि की बैठक का आयोजन किया जावेगा। बैठक आयोजित करने हेतु निधि के सभी सदस्यों को कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक होगा। आवश्यकतानुसार कभी भी अध्यक्ष द्वारा बैठक आयोजित की जा सकेगी।
3. इकाई की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकता अनुसार कल्याण निधि के नियमानुसार सभी से विचार विमर्श कर निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित करेगी।
4. समिति के पांच सदस्य गण की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूर्ण माना जायेगा।